मुन्तकिली प्रकरण सं0 106/2015 अनवानी श्रीराम पुत्र बगड़ावतराम जाति बिश्नोई निवासी 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर बनाम 1–बलराज पुत्र फकीरचंद जाति नायक निवासी 38 एनपी तहसील रायसिंहनगर 2–एसडीओ रायसिंहनगर 3–तहसीलदार रायसिंहनगर

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी बलराज के अभिभाषक श्री हरजीतसिंह जोली व श्री महेन्द्रपाल गुप्ता उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषकगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में लंबित अनवानी प्रकरण बलराज आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में लंबित अनवानी प्रकरण बलराज आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official